झारखण्ड सरकार

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, धनबाद।

दूरभाष: 0326-2312401(O),9471191601(M) Email: drda.dhanbad@gmail.com

–:मनरेगा:–

नियुक्ति विज्ञापन–01/2023

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–4729 दिनांक 04.06.2007 के द्वारा निर्गत नियुक्ति सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2007 एवं संकल्प सं0–6440 दिनांक 17.07.2012 के द्वारा निर्गत नियुक्ति, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली,2012 तथा पत्रांक एन 848 दिनांक 21.03.2017 के आलोक में मनरेगा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत संविदा आधारित विभिन्न रिक्त पदों पर पूर्णतः संविदा आधारित नियुक्ति (मेधा सूची तैयार करने हेतु) हेतु आवश्यक योग्यता/अहर्त्ताधारी इच्छुक अभ्यर्थियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थियो से आवेदन पत्र ऑनलाईन rportaldrda.egovdhn.in के माध्यम से लिया जायेगा। आवेदक आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति को ऑनलाईन अपलोड दिनांक .... 12/10/2023 समय 5:00 अपराह्न बजे तक कर सकेगें। आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 12/10/2023 के पश्चात अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। वांछित प्रमाण पत्र के अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड नही किया जाय।

अनुमोदित आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की संख्या निम्नवत है–

क्र0	पद	कोटि						कुल रिक्ति	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग
		अनारक्षित	अत्य0 पि0वर्ग0 (BC-I)	पि0वर्ग0 (BC-II)	अनु0 जाति	अनु0ज0जाति	आ0क0वर्ग0		
1	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	02	02	01	01	01	0	07	---
2	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	09	02	02	02	02	02	19	प्रवर्ग (क) एवं (ख) (क्षैतिज रूप से)
3	लेखा सहायक	01	02	01	01	01	0	06	---
4	कम्प्यूटर सहायक	01	02	01	01	01	0	06	---

(नोटः– रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण मे परिवर्त्तन हो सकता है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 2249 दिनांक 03.04.2018 के आलोक में निःशक्कता के व्यक्तियों को नियमानुसार क्षैतिज रूप अनुमान्य प्रवर्ग (प्रवर्ग (क)–अंधापन और कम दृष्टि एवं प्रवर्ग (ख)– बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता) का लाभ देय होगा।

शैक्षणिक योग्यताएं–

तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	**अनिवार्य योग्यता–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0/बी0टेक अनिवार्य योग्यता होगी। **अतिरिक्त योग्यता–** 1. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। 2 एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**अनिवार्य योग्यता–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। **अतिरिक्त योग्यता–** 1 सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0,

	बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। 2 बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेगें तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि मे तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोडा जायेगा। 3 एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडें जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटा दिया जायेगा। (नोटः– ग्रा0वि0वि0,झारखण्ड,सरकार,रॉची के ज्ञापांक 1187 दिनांक 01.03.2013 के आलोक में सिविल संकाय में बी0टेक0 संबंधित योग्यता वाले अभ्यर्थी भी आवेदन समर्पित कर सकते है।)
लेखा सहायक	**अनिवार्य योग्यता–** 1 सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0कॉम आनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण, जिन्हे 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो परन्तु जिन्होनें तत्पश्चात एम0कॉम0 किया हो तो वे आवेदन दे सकेगें परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 05 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। **अतिरिक्त योग्यता–** 1 सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी। 2 एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायगा।
कम्प्यूटर सहायक	**अनिवार्य योग्यता –** 1 सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेगें। (क) बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स (ख) बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य (ग) बी0सी0ए0 (घ) सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण। 2 बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। **अतिरिक्त योग्यता–** 1. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। 2. एम0सी0ए0 / एम0एस0सी कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 / सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

नोट:— ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड/CGPA/DGPA का उल्लेख है वे संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेड/सी0जी0पी0ए0/डी0जी0पी0ए0 का अंक/प्रतिशत में सम्परिवर्त्तन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे, जिनसे उनके चयन प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न न हो।

आयु सीमा दिनांक **01 जनवरी 2023** को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम (विभिन्न पदो के लिए अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा,भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी) निम्नवत है:—

क्र0	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनो के लिए
1	अनारक्षित/ अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—EWS (पुरूष)	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछडा वर्ग/अ0पि0वर्ग0 (पुरूष)	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अना0/पि0/अ0पि0वर्ग0/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग— EWS)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अन0जाति/अनु0जन0जाति0 (पुरूष/महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

राष्ट्रीयता— आवेदक भारत का नागरिक हो।

आरक्षण:—

1. आवेदन में निहित प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा।
3. झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अथवा कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड के पत्रांक 5772 दिनांक 19.09.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं दिनांक 02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन आय/संपत्ति प्रमाण पत्र
5. निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य है एवं आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

परिलब्धि/ मानदेय—निम्न विवरणी के अनुसार मासिक संविदा राशि देय होगी तथा ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड राँची द्वारा समय—समय पर यथासंशोधित देय होगी।

तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	22000.00 (बाईस हजार रूपये मात्र) एक मुस्त संविदा राशि।
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	19000.00 (उन्नीस हजार रूपये मात्र) एक मुस्त संविदा राशि।
लेखा सहायक	14300.00 (चौदह हजार तीन सौ रूपये मात्र) एक मुस्त संविदा राशि।
कम्प्यूटर सहायक	14300.00 (चोदह हजार तीन सौ रूपये मात्र) एक मुस्त संविदा राशि।

नियुक्ति एवं पैनल निर्माण के नियम तथा शर्तेः—

1. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
2. अनिवार्य एंव अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जायेगा तथा उसके आलोक में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक/औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की प्रारंभिक/औपबंधिक मेधा सूची चयन का अंतिम आधार नही माना जाएगा। तत्पश्चात प्रारंभिक/औपबंधिक मेधा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक रिक्त पदो के तीन गुणा (3) अभ्यर्थियों का चयन दक्षता परीक्षा/विषय ज्ञान परीक्षा (लिखित/बहुवैकल्पिक प्रश्न /टंकक ज्ञान) हेतु किया

जायेगा। दक्षता परीक्षा के पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता स्कोर के आधार पर प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर आवेदन त्रुटि निराकरण किया जायेगा। इसके उपरान्त अंतिम मेघा सूची/वरीयता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। उक्त वरीयता सूची की वैधता की अवधि दो वर्ष रहेगी।

3. Selection Process के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार Online Written Test / Offline Written Test /टंकक ज्ञान टेस्ट लिया जा सकता है। जिसमें निर्धारित अंको से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दक्षता परीक्षा मात्र Qualifying प्रवृति का होगा। दक्षता परीक्षा (Online Written Test / Offline Written Test /टंकक ज्ञान) की सूचना बाद में अखबार एवं बेवसाईट के माध्यम से दिया जायेगा।
4. प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उसके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा ।
5. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
6. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ती पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की आवश्यकता नहीं है तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर सकते हैं।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। बर्खास्तगी के बाद पुनः बहाली का प्रावधान नहीं है।
8. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदो के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।
9. उपरोक्त चारो पद हेतु अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला मे इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रदद् समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। शपथ पत्र नोटरी द्वारा निर्गत अनिवार्य है।
10. उक्त नियुक्ति विज्ञापन एवं प्रक्रिया में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

नोटः– आवेदन पत्र का प्रारूप धनबाद जिला के वेवसाईट www.dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है।

23/9/23
परियोजना पदाधिकारी
जि0 ग्रा0 वि0 अभि,
धनबाद
23/09/23

23/09/23
निदेशक
लेखा प्रशासन
धनबाद

उप विकास आयुक्त
धनबाद

26/9/23
उपायुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्व्यक,
धनबाद।

ज्ञापांक– 1492 / डी0आर0डी0ए0, धनबाद दिनांक 27/09/2023

प्रतिलिपि– अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था) धनबाद सह–वेब मैनेजर ,धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति विज्ञापन को धनबाद जिला के वेवसाईट www.dhanbad.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

23/9/23
परियोजना पदाधिकारी
जि0 ग्रा0 वि0 अभि,
धनबाद
23/09/23

23/09/23
निदेशक
लेखा प्रशासन
धनबाद

23/9/23
उप विकास आयुक्त
धनबाद

26/9/23
उपायुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्व्यक,
धनबाद।